

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(405)एम.ई./ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक :

आदेश

56 APR 2018

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(276)एम.ई./ग्रुप-1/2017 दिनांक 01.02.2018 के द्वारा डॉ० हेमा सिंह (मेरिट क्रमांक 29/सामान्य महिला, जन्म तिथि 15.01.1987) को सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ० सिंह को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयवधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज कोटा के पत्रांक प. 2( )स्था० राज०/2018/667 दिनांक 05.04.2018 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ० हेमा सिंह ने दिनांक 05.04.2018 तक सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और इस सम्बन्ध में इनके द्वारा ना तो इस विभाग को और ना ही पदस्थापन स्थान पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ० हेमा सिंह उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नहीं है। अतः डॉ० हेमा सिंह के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(276)एम.ई./ग्रुप-1/2017 दिनांक 01.02.2018 के द्वारा उनका सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

  
(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(28)भर्ती/गोपनीय/2014-15/296 दिनांक 07.09.2017 एवं एफ. 7(28)भर्ती 'ख'/2014-15/468 दिनांक 10.10.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा को उनके पत्रांक 667 दिनांक 05.04.2018 के संदर्भ में।
4. डा० हेमा सिंह पत्नी डॉ० रजत भार्गव, सी-37, महेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर (राज.) (रजिस्टर्ड डाक से)।
5. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(सुरेन्द्र सिंह)  
अनुभागाधिकारी